

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर कानपुर देहात।

वाद सं०- 153/2020

सईद खां आदि

बनाम

अनूप सिंह आदि।

दिनांक 17/08/2022

पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर पक्षकारगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते बनाये जाने तनकी नियत है। पक्षकारों द्वारा सुलह-समझौता की संभावना से इंकार किया गया है।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं-

- 1- क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर वांछित अनुतोष पाने के अधिकारी हैं?
- 2- क्या वादीगण का वाद अल्पमूल्यांकित है ?
- 3- क्या वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
- 4- क्या न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ?
- 5- क्या वादी का वाद धारा- 206 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के उपबन्धों से बाधित है ?
- 6- क्या वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है ?
- 7- क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

अन्य कोई वाद बिन्दु न ही बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा कोई बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं०-2,3 व 4 हेतु दिनांक 17/09/2022 को पेश हो।

राशि तोमर

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात

ID No. UP 2540